ई–मेल

पत्रांकः1365/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.50/22

प्रेषक,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमतीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गाजियाबाद।

लखनऊः: दिनांक 21 जून, 2022

विषयः–जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद में महिला सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या– 05/2022/748/84–2–2022 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा श्रीमती शैलजा सचान पत्नी श्री दिलीप कुमार सचान, 4/350, विकास नगर, नियर विकास नगर पुलिस स्टेशन, लखनऊ, उ.प्र. को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गाजियबाद में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमती शैलजा सचान ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, (पुरूष) इटावा द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र, नियम 6(13) का शपथ पत्र एवं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 के अनुसार संदेय वेतन एवं भत्ते पर सहमति का शपथपत्र एवं चल–अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है।

अतः श्रीमती शैलजा सचान को जिला आयोग, गाजियाबाद में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु मा॰ न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्रीमती शैलजा सचान के कार्यभार ग्रहण करते समय उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 के नियम 11 के अनुरूप प्रारूप 01 एवं 02 जो श्रीमती शैलजा सचान द्वारा हस्ताक्षरयुक्त हो उसकी एक प्रति जिला आयोग में सुरक्षित रखते हुए एक प्रति राज्य आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रदीप कुमार III)
निबन्धक

प्रतिलिपिः– श्रीमती शैलजा सचान पत्नी श्री दिलीप कुमार सचान, 4/350, विकास नगर, नियर विकास नगर पुलिस स्टेशन, लखनऊ, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार III)
निबन्धक